पत्र संख्या–15/डी0एल0ए0 समस्तीपुर (सुलिस गेट)–56/2012–   पटना–15, दि0–

129

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं० .... डी०एल०ए० समस्तीपुर   –1534/रा०, दिनांक 30-05-13

रा० चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम – घोघराहा, परगना वरईल, थाना – वारिसनगर, थाना नं० 41, जिला – समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रा०उ० पथ सं०–31 के प्रस्तावित बाईपास में करजान गाँव से रा०उ० पथ सं०–28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर प्रस्तावित 4–लेन पुल एवं 4–लेन पहुँच पथ के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम घोघराहा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम वो वेश 1.59 एकड़ के बराबर है जिसका खेसरा सं० अंश 1052, 1059 1066, 1067, 717, 729, 730, 727, 726 एवं पूर्ण खेसरा सं० 728 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर :– सोमराहा हाट से हायाघाट तक वर्तमान तटबन्ध एवं वर्तमान पथ खेसरा संख्या – 657।

पूरब :– अंश खेसरा सं० – 1066, 1067, 1077, 717, एवं 726।

दक्षिण :– अंश खेसरा संख्या – 1052, 1059, 1066, 1067, 1077 एवं पूर्ण खेसरा सं० – 1056।

पश्चिम :– सोमराहा हाट से हायाघाट तक वर्तमान तटबन्ध।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जायेंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल की आदेश से

जिला भू–अर्जन पदा०, समस्तीपुर।	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर।	समाहर्त्ता, समस्तीपुर।	सरकार के उप सचिव

(28

ज्ञापांक 1434/डी०एल०ए० समस्तीपुर पटना दिनांक 30-05-13

प्रतिलिपि :— जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर को भी भेज दें। सम। हर्ता, समस्तीपुर

अनु० :— यथोक्त।

~~सरकार के उप सचिव~~

ज्ञापांक ..../डी०एल०ए० समस्तीपुर पटना दिनांक ....

प्रतिलिपि :— निदेशक, सूचना जन संपर्क विभाग, पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय, समस्तीपुर को भेज दें।

अनु० :— यथोक्त।

23/5/13

सरकार के उप सचिव